(vii) The whole of amount of deposits under this scheme is exempt from wealth tax.

औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र को बैंकों से ऋण

*359. **श्री शरद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र को कितना ऋण प्रदान किया गया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार में औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र को अलग-अलग कितना ऋण प्रदान किया गया है ;

(ग) कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता देने के संबंध में बैंकों को जारी किये गये निदेशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिये ग्रामीण बैंकों से ऋण लेते समय किन-किन शर्तों तथा औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है और उनका पालन करना पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) ऋण सीधे बैंकों द्वारा दिये जाते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1986, 1987 और 1988 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के नाम बकाया अग्रिमों की राशि निम्नानुसार थी :—

(रकम करोड़ रुपए में)

	बकाया अग्रिम	
	कृषि	उद्योग
दिसम्बर 1986	10257	29020
दिसम्बर 1987	11938	34751
दिसम्बर 1988	13742	42321

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1985, 1986 और जून 1987 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के नाम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम निम्नानुसार थे —

(रकम करोड़ रुपए में)

वर्ष	हरियाणा		उत्तर प्रदेश		राजस्थान		मध्य प्रदेश		बिहार	
	कृषि	औद्योगिक	कृषि	औद्योगिक	कृषि	औद्योगिक	कृषि	औद्योगिक	कृषि	औद्योगिक
दिसम्बर 1985	351	500	998	1465	412	481	452	682	401	562
दिसम्बर 1986	411	356	1091	1858	482	589	550	867	471	604
जून 1987	435	463	1111	2072	509	621	590	939	494	603

आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ग) बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि मार्च 1990 के अंत तक प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का हिस्सा उनके कुल अग्रिमों का 18 प्रतिशत हो जाना चाहिए ।

(घ) ट्रैक्टर अग्रिम बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कृषि अग्रिमों के अंतर्गत आते हैं । कृषि अग्रिमों को नियंत्रित करने वाले सामान्य शर्तों एवं अनुबंधों के अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक निर्धारित महत्वपूर्ण शर्तें एवं अनुबंध, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ट्रैक्टर ऋणों पर लागू होते हैं, निम्नानुसार हैं :—

(एक) ट्रैक्टर का उपयोग कम से कम 8 एकड़ बारह मास सिंचित भूमि को खेती के लिये किया जाना चाहिए ।

(दो) ट्रैक्टर से प्रतिवर्ष कृषि के लिए कम से कम 1000 घंटे उत्पादक कार्य किया जाएगा ।

(तीन) ब्याज सहित ऋण की किस्त की वापसी अदायगी के लिए आवश्यक कुल रकम का कम से कम 50 प्रतिशत (पूर्वी राज्यों के मामले में 40 प्रतिशत) हिताधिकारी के फार्म के मशीनीकरण से होने वाली वृद्धिशील आय से प्राप्त होगा ।

(चार) हिताधिकारी को ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर सहित कम से कम तीन उपकरण खरीदने चाहिए बशर्ते कि उसके पास ट्रैक्टर खरीदते समय ये उपकरण पहले से न हों ।

(पांच) खरीदे जाने वाले ट्रैक्टर के लिए अपेक्षित वाणिज्यिक परीक्षण रिपोर्ट होनी चाहिए तथा उपकरण अधिमानतः आई० एस० आई० स्टैंडर्ड के होने चाहिए ।

(छः) पहली बार खरीद के मामले में तत्काल अदायगी निवेश लागत के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए । दूसरी बार खरीद के मामले में यह 30 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए ।

(सात) किसानों द्वारा ट्रैक्टर का चयन, भूभाग, जमीन की स्थिति तथा ट्रैक्टर के उपयोग को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ।

(आठ) वापसी अदायगी की अधिकतम अवधि, जिसके अन्दर, हिताधिकारी द्वारा ट्रैक्टर की खरीद के लिए लिया गया ऋण चुकाया जाएगा, 9 वर्ष होगी ।

(नौ) बैंक ट्रैक्टर के सप्लायर को ऋण की रकम सीधे अदायगी करेगा।

(दस) ट्रैक्टर संबंधित परिवहन प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराया जाएगा ।

(ग्यारह) हिताधिकारी द्वारा ऋण की रकम से अर्जित परिसम्पत्ति के संबंध में पर्याप्त बीमा कवच प्राप्त किया जाएगा तथा इस प्रकार का बीमा कवच ऋण की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा ।

Financial assistance to institutions looking after the welfare of the tea plantation workers in Assam

*360. SHRJ PRITHIBI MAJHI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the Tea Board has sanctioned any capital grant during the last three years to any institution looking after the welfare of the tea plantation workers and their dependents in Assam; and

(b) if so what are the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SHGH): (a) and (b) Yes, Sir. Tea Board has sanctioned capital grants to the Tejpur Children Hospital Assam, Surma Valley Branch of Indian Tea Association, Silchar for purchase of ambulance, and to Indian Red Cross, Silchar for extension of the existing hospital, during the last three years, as follows :—

Year	Amount
1986-87	1,13,505/-
1987-88	1,00,000/-
1988-89	6,00,000/-